FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (SDO) जायल (नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

रवीयाराम .... बनाम तहसीलदार जायल ....

किस्म मुकदमा रा. आवेदन 131,136 RLRAct नं. 255/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सुनील K मेराजा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131,136 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/12/18 को पेश हो। [signature]	
17/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील प्राप्त तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 05/03/19 को पेश हो। [signature]	
05/03/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील प्राप्त तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/05/19 को पेश हो। [signature]	131 9/5/19
	||	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:36:45 IST
Reason: SelfAttested

08/05/19 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विपक्षी संख्या 2 स्वयं उपस्थित / शेष अनुपस्थित जिनको जवाब हेतु एक अवसर दिया जाता है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत का प्रस्तुत कीया गया जिसे न्यायहित में स्वीकार कीया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बायतु को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 27/05/19 को पेश हो।

27/05/19 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित / न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार बायतु को मौका रिपोर्ट हेतु पूर्व में नहीं लिखा गया था जो लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 17/07/19 को पेश हो।

17/07/19 प्रार्थी वकील उपस्थित / तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 17/09/19 को पेश हो।

17/09/19 प्रार्थी वकील उपस्थित / तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/10/19 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:36:45 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथा पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 04/12/19 को पेश हो।	
04/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या-2 से 5 की संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि मौजा-खींपर पटवार हल्का खींपर ~~[illegible]~~ खसरा संख्या-576 रकबा-283.06 बीघा भूमि स्थित थी। मूल खसरा नम्बर-576 की भूमि का बंटवारा राजस्व वाद संख्या-39/1973 भगवाना-दयाराम v/s तुलछाराम वगैरा में अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक-27.2.1973 को सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा किया गया था। उक्त बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्से में आये खसरा नम्बर-576/3 वर्तमान खसरा नम्बर-720/576, की तरमीम अनुसार आज दिन तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा दिनांक 27.2.1973 को किये गये निर्णय अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में आये खसरा नम्बर-576/3 वर्तमान खसरा नम्बर-720/576 की तरमीम हल्का पटवारी द्वारा बंटवारे के संलग्न नक्शे के अनुसार सही रूप में नहीं की गयी, पटवारी द्वारा की गयी गलत तरमीम से प्रार्थीगण के वास्तविक हिस्से में आई 101.15 बीघा भूमि मौके पर स्थित नहीं है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या-720/576 में समतल व उपजाऊ भूमि जो डामर सड़क के उपर स्थित थी, उस भूमि को पटवारी ने गलत तरमीम से [illegible]	

विवेक व्यास
4.1...
सहायक ... बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:36:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संख्या- 2 से 5 की भूमि खसरा नम्बर- 721/576 में शामिल कर दिया। गलत तरमीन प्रति परिशिष्ट- 'अ' के रूप में संलग्न आवेदन है। कि वर्तमान में विप्रार्थी संख्या- 2 से 5 भी गलत तरमीन के आधार पर प्रार्थीगण की सड़क पर स्थित खातेदारी भूमि को हड़पने की नियत से लगातार नया निर्माण कर मौके पर भारी रदोबदल किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर प्रार्थी- के हिस्से में आई भूमि को हड़प करना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि का राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीन होने से प्रार्थीगण के हिस्से में ~~आवी~~ आयी भूमि खसरा नम्बर- 720/576 रकबा- 101.15 बीघा भूमि कम हो गयी है तथा राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीन होने से प्रार्थीगण को अपनी कब्जे काश्त की भूमि से अकारण वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वाद संख्या- 39/1973 दिनांक 27.2.1973 में सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा किये गये बंटवाड़ा आदेश अर्थात माफिक डिक्री अनुसार खसरा नम्बर- 720/576 रकबा- 101.15 बीघा भूमि की तरमीन दुरूस्त की जानी न्यायोचित है इसलिए प्रार्थी द्वारा यह तरमीन दुरूस्ती का आवेदन पेश किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बायतु से विवादित भूमि के सम्बन्ध में चाही गई तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की उक्त आवेदन व मौका रिपोर्ट पर एकपक्षीय बहस सुनी गई तहसीलदार बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:36:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में बताया की श्रीमान सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/1973 मनवान दियाराम बनाम तुलछाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 27.2.1973 व डिग्री पर्चा के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव के नक्शा व वर्तमान लट्ठा ट्रेस में अन्तर है तथा मौके पर प्रार्थीगण का सहायक कलक्टर बाड़मेर के निर्णय अनुसार है। इसलिए प्रार्थीगण के खसरे की लट्ठा ट्रेस में तरमीम ~~की जानी उचित है।~~ शुद्ध की जानी उचित है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनने तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट व पत्रावली के संलग्न सहायक कलक्टर बाड़मेर के निर्णय दिनांक 27.2.1973 मय डिग्री पर्चा एवं संलग्न बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन करने के बाद प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-खींपर पटवार मण्डल-खींपर तहसील-बायतु के खेत खसरा नम्बर-576/3 व वर्तमान खसरा नम्बर-720/576 रकबा-101.15 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या-39/1973 मनवान-दियाराम बनाम तुलछाराम वगैरा के निर्णय दिनांक 27.03.1973 व डिग्री पर्चा के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव के नक्शा अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार बायतु उक्त आदेश अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास 4.12.2015 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:36:45 IST
Reason: SelfAttested